

## अतिआवश्यक

### तत्काल

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
शिक्षा सदन सैकटर-5, पंचकुला।

सेवा में,

राज्य के सभी  
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,  
यादी क्रमांक KW 16/2-2023 GS (3)  
दिनांक पंचकुला—

**विषय:-** शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्षण्य (12) (1) (सी) के प्रावधान अनुसार दाखिले हेतु 25% seat declaration/सरक्षित करवाने बारे।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य के संचालित प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय (आईटी0ई0 नियम 2011 के तहत) को पहली कक्षा/एन्ड्री कक्षा नर्सरी (जैसी भी स्थिति हो) में कुल उपलब्ध सीटों का 25% सीटों पर निम्न कैटेगरी में शामिल बच्चों के दाखिले करवाये जाने हैं :—

All the private recognized schools will ensure that for Class I or earlier Class wherever applicable will be reserved for 25% of all the seats for the economically weaker and disadvantaged groups. Child belonging to weaker sections and disadvantaged group means a child belonging to any of the following categories (RTE Act 2011) Part 2F (i), (ii), (iii) & (iv) is as under :-

- (i) A child of a family covered under the latest list of Below Poverty Line of both rural and urban areas issued and approved by the Government.
- (ii) An orphan
- (iii) A HIV affected child.
- (iv) A child with special needs.
- (v) A child of war widow.

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि 25% seat declaration/सरक्षित हेतु विभाग की आईटी0 सैल द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। अतः अपने क्षेत्राधिकार के हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में दाखिले हेतु उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत सीटें declaration/सरक्षित करवाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में आपके जिले से सम्बन्धित सरकारी दो समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में भी प्रकाशित करें।


विभागीय वैबसाईट <https://harprathmik.gov.in> पर दिए गए लिंक—Regarding declaration/reservation of 25% seats for admission in recognized private schools in the academic year 2025-26 under section 12(1)(C) of RTE Act, 2009 पर अपनी 25 प्रतिशत सीटों का ब्यौरा देना है। पोर्टल पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हैप्पल लाईन न0-0172-5049801 पर सर्वक किया जा सकता है।

—  
सहायक निदेशक  
सरकारी स्कूल (नॉन सिविल)  
कृते: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक—सम—

दिनांक पंचकुला - 28/3/2025

- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—
1.  संयुक्त निदेशक, आईटी0 सैल को अनुरोध किया जाता है कि 25% seat declaration/सरक्षित हेतु आज दिनांक 28.03.2025 रात 12.00 बजे खोलने का कष्ट करें तथा दिनांक 01.04.2025 तक रात 12.00 बजे तक खोलने का कष्ट करें।

  
28/3/25  
सहायक निदेशक  
सरकारी स्कूल (नॉन सिविल)  
कृते: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला